


कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय-आदेश

राज्य सरकार के पत्र क्रमांक: प.19(05)शिक्षा-2/2019 पार्ट दिनांक: 16.07.2020 की पालना में श्रीमती रजनी यादव, अध्यापक लेवल-द्वितीय, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, तालियाना, पंचायत समिति सायला, जिला-जालौर को प्रतिनियुक्ति पर पाठ्यपुस्तक मण्डल, अलवर में मुख्य प्रबन्धक के रिक्त पद के विरुद्ध "राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम-144 "क" के तहत एक वर्ष के लिए लगाये जाने की एतद्वारा अनुमति प्रदान की जाती है।


संबंधित नियंत्रण अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल संबंधित कार्मिक श्रीमती रजनी यादव, अध्यापक लेवल-द्वितीय को प्रतिनियुक्ति स्थान हेतु कार्यमुक्त कर पालना से अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करावें।


(सौरभ स्वामी)

आई.ए.एस.
निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/माध्य/संस्था/एफ-3/13406/सामान्य प्रति0/वो-2/2019/188 दिनांक: 30/07/2020
प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल, जयपुर।
4. प्रभारी अधिकारी, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल, अलवर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, जालौर।
6. सिस्टम एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने बाबत।
7. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, तालियाना, पंचायत समिति सायला, जिला-जालौर।
8. श्रीमती रजनी यादव, अध्यापक लेवल-द्वितीय, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, तालियाना, पंचायत समिति सायला, जिला-जालौर।
9. रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक(प्रशिक्षण)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर